क्रम-संख्या–346

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 19, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2544/79–वि–1–07-1(क)14-2007
लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 9 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 कहा जायेगा।

अध्याय–2

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 का सामान्य संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उपाध्यक्ष", जहाँ-जहाँ आये हों, को निकाल दिया जायेगा।

धारा 9-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9-क में उपधारा (5) में खण्ड (2) निकाल दिया जायेगा।

धारा 53 और 54 का लोप

4–मूल अधिनियम की धारा 53 और 54 निकाल दी जायेगी।

धारा 54-क का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 54-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी :–

कतिपय मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"54-क जहाँ कोई व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर कार्य करने में असफल रहता है या उससे इंकार करता है या कार्य करने में अन्यथा असमर्थ रहता है या धारा 44-क के अन्तर्गत अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है वहाँ अध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों का, जब तक कि अध्यक्ष कृत्य करने योग्य हो जाय, प्रयोग और निर्वहन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा और ऐसे अधिकारी को प्रशासक कहा जायेगा और उसमें अध्यक्ष की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य निहित होंगे और उसके द्वारा, उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायेगा।"

धारा 55 का लोप

6–मूल अधिनियम की धारा 55 निकाल दी जायेगी।

धारा 89 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 89 में शब्द "न तो अध्यक्ष उपस्थित हो और न ही उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष उपस्थित न हो" रख दिये जायेंगे।

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 में सामान्य संशोधन

8–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उपमहापौर" जहाँ-जहाँ आये हों, को निकाल दिया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (5) में खण्ड (2) निकाल दिया जायेगा।

धारा 10 का लोप

10–मूल अधिनियम की धारा 10 निकाल दी जायेगी।

धारा 11 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 12 का लोप

12–मूल अधिनियम की धारा 12 निकाल दी जायेगी।

नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

13–मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

कतिपय मामलों में अस्थायी व्यवस्था

"14-क जब महापौर का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थिति, रूग्णता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार जब तक महापौर अपना पद ग्रहण न कर लें, उसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आदेश द्वारा ऐसी व्यवस्था कर सकती है जैसी वह उचित समझे।"

धारा 15 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में खण्ड (ख) निकाल दिया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में नगर निगम के लिये महापौर और उपमहापौर तथा नगर पालिका के लिये अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की क्रमशः व्यवस्था है। स्थानीय निकायों में महापौर और उपमहापौर, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का अस्तित्व समानान्तर व्यवस्था का सृजन करता है और उनके कार्यालयों के अधिष्ठान, उन्हें अनुमन्य अन्य सुविधाओं और अवसंरचना पर स्थानीय निकायों में दोगुना व्यय होता है। उपमहापौर और उपाध्यक्षों के लिये, महापौर या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों में अध्यक्षता करने के सिवाय, किसी विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिये यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियमों को संशोधित किया जाय जिससे संबंधित अधिनियम में मुख्यतः उपमहापौर और उपाध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त करने के लिये एवं आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में अस्थायी प्रबन्ध के लिये व्यवस्था की जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 2544/LXXIX-V-1-1-(Ka)14–2007
Dated Lucknow, December 10, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaniya Swayatta Shashan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 49 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 9, 2007.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 49 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2007. Short title

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1916

General Amendment of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the word 'Vice President' wherever occurring, shall be *omitted.*

Amendment of section 9-A

3. In section 9-A of the principal Act, in sub-section (5) clause (2) shall be *omitted.*

Omission of section 53 and 54

4. Section 53 and 54 of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of section 54-A

5. *For* section 54-A of the prinicipal Act the following section shall be *substituted,* namely :–

"54-A. Where a person on being elected President fails or refuses to function or is otherwise not able to function, or a casual vacancy occurs in the office of the President within the meaning of section 44-A, the powers and functions of the President shall, until a President is able to function, be exercised and performed by the District Magistrate or by a gazetted officer not below the rank of a Deputy Collector appointed by the District Magistrate in this behalf, and such officer shall be called the Administrator, and all powers, functions and duties of the President shall be vested in and be exercised, performed and discharged by him."

Temporary arrangement in certain cases

Omission of section 55

6. Section 55 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 89

7. In section 89 of the principal Act, *for* the words 'neither President nor a Vice President is present' the words "President is not present'' shall be *substituted.*

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1959

General Amendment in U.P. Act no. 2 of 1959

8. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, the word 'Députy Mayor' wherever occurring, shall be *omitted.*

Amendment of section 7

9. In section 7 of the principal Act, in sub-section (5) clause (2) shall be *omitted.*

Omission of section 10

10. Section 10 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 11

11. In section 11 of the principal Act, sub section (3) shall be *omitted.*

Omission of section 12

12. Section 12 of the principal Act shall be *omitted.*

Insertion of new section 14-A

13. *After* section 14 of the principal Act the following section shall be *inserted,* namely :–

"14-A. When the office of the Mayor is vacant or he is unable to perform his functions owing to absence, illness or any other cause, the State Government may, by order make such arrangement as he thinks fit, for exercising the powers, performing the functions and discharging the duties of the Mayor, till the Mayor resumes his duties.''

Temporary arrangement in certain cases

Amendment of section 15

14. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1) clause (b) shall be *omitted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 and the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 provide for the offices of Mayor and Deputy Mayor for a Municipal Corporation and the offices of President and Vice-President of a Municipality respectively. The existence of Mayor and Deputy Mayor, President and Vice-President in local bodies create parallel arrangement and incur double expenditure on local bodies on the establishment of their offices, other facilities and infrastructure admissible to them. The Deputy Mayor and Vice-Presidents have not been provided any specific responsibilities except presiding over the meetings in the absence of Mayor or President. It has, therefore, been decided to amend the said Acts to provide mainly for omitting the provisions of Deputy Mayor and the Vice-President in the respective Act, and for temporary arrangements in case of casual vacancy.

The Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 768 राजपत्र–(हि०)–(1864)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 388 सा० विधा०–(1865)–2007–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।